FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम मण्डावर(दौसा)

गोविन्दा बनाम मनसुख वगैरह मु.न. 118 / 2025

किस्म मुकदमा – वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.09.2025	यह वादपत्र वादी की ओर से अभिभाषक श्री सत्यनारायण शर्मा / विक्रम सिंह गुर्जर द्वारा बाबत् तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया। वादपत्र दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण को सम्मन जरिये स्पीड पोस्ट डाक वास्ते जाहिर करने वजह जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 24.10.2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	नोटिस प्राप्त प्रार्थी प्रकार। मीणा
24.10.25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी द्वारा गत आदेशिका के निर्देशानुसार प्रतिवादीगण की तामील स्पीड पोस्ट डाक पेश नहीं गई और निर्देशों की अवहेलना की गई। इसलिए पत्रावली में अग्रिम कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है। अतः पत्रावली आदेश 9 नियम 2 CPC (जहां सम्मनों की तामील, खर्चे देने में वादी के असफल रहने के परिणामस्वरूप नहीं हुई है वहां वाद का खारिज किया जाना) के अन्तर्गत प्रदत्त प्रावधान का प्रयोग करके खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	नि. [illegible] [illegible]